



बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
संतोष मैन्शन, बी०-ब्लॉक, आर०पी०एस० विधि महाविद्यालय के निकट, रघुनाथ पथ,
दानापुर, पटना-८०१५०३
(वेबसाइट-www.bpssc.bih.nic.in)

बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत वर्ष २०२० में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (Range Officer of Forests) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना ।

ऑनलाईन(Online) आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ होने की तिथि-१३.०८.२०२० (गुरुवार)

ऑनलाईन(Online) आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि-१६.०९.२०२० (बुधवार)

विज्ञापन संख्या-०२/२०२०

बिहार सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत वर्ष २०२० में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (Range Officer of Forests) के पद पर अधिसूचित रिक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है:

पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (Range Officer of Forests)	लेवल-६ (रु० ३५४००-११२४००)	४३

उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या-०२/२०२० यहाँ जारी किया जा रहा है ।

उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र प्राप्त किया जायेगा । किसी अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है ।

“बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली २०१३” एवं “बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली २०२०” द्वारा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (Range Officer of Forests) के पद पर चयन एवं नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी (Range Officer of Forests) के पद पर नियुक्ति एवं चयन के लिए विहित प्रक्रिया निम्नांकित है:

- (1) लिखित परीक्षा
- (2) साक्षात्कार
- (3) शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण

1. **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा-** आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जायेगी जिसमें दो पत्र होंगे । लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होंगे ।

प्रथम पत्र 100 अंकों का सामान्य हिन्दी का 1 (एक) घंटे का होगा जिसमें 50 प्रश्न होंगे एवं न्यूनतम अहर्ताक 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जायेगा । सामान्य हिन्दी पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जायेगा ।

द्वितीय पत्र सामान्य अध्ययन का होगा जो सामान्य ज्ञान, समसामयिक मुद्दों, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच से सम्बन्धित होगा । द्वितीय पत्र का पूर्णांक 300 होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या-100 होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटे की होगी । प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जायेगा ।

उपरोक्त दोनों पत्रों की उत्तर-पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जायेगी ।

2. **साक्षात्कार-** लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्ति के 06 गुणा अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधानुसार किया जायेगा तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा । साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में उक्त अनुपात उपयुक्त रूप से कम किया जा सकेगा ।

साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायेगा ।

साक्षात्कार का कुल अंक-50 होगा । साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जायेगा तथा दोनों के योग के आधार पर अन्तिम मेधा सूची तैयार की जायेगी ।

3. **शारीरिक समर्थता परीक्षण-** साक्षात्कार के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक समर्थता परीक्षण आयोग द्वारा आयोजित किया जायेगा । अभ्यर्थी का शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल होना अनिवार्य है । यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक समर्थता परीक्षण में असफल

होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जायेगा ।

शारीरिक समर्थता परीक्षण के मानदण्ड:

ऊँचाई - पुरुषों के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 152.5 सेन्टीमीटर (अनुसूचित जनजाति) ।
163 सेन्टीमीटर (अन्य)
महिलाओं के लिए - न्यूनतम ऊँचाई 145 सेन्टीमीटर (अनुसूचित जनजाति) ।
150 सेन्टीमीटर (अन्य)

सीना (सिर्फ पुरुषों के लिए)-

बिना फुलाए - 79 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
फुलाकर - 84 सेन्टीमीटर (न्यूनतम)
(फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेन्टीमीटर का अन्तर होना अनिवार्य होगा) ।

शारीरिक परीक्षण-

पुरुषों के लिए- 4 (चार) घंटे में 25 (पच्चीस) किलोमीटर पैदल चलना ।
महिलाओं के लिए- 4 (चार) घंटे में 14 (चौदह) किलोमीटर पैदल चलना ।

चिकित्सीय परीक्षण- शारीरिक समर्थता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण आयोग द्वारा गठित चिकित्सीय टीम द्वारा कराया जायेगा । किसी कारण यदि कोई अभ्यर्थी चिकित्सीय परीक्षण में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें चिकित्सीय पर्षद (Medical Board) के समक्ष अपील दायर करने का अवसर दिया जायेगा । चिकित्सीय पर्षद का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

मेधा सूची- शारीरिक समर्थता परीक्षण एवं चिकित्सीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों की एक अन्तिम मेधा सूची रिक्तियों के अनुसार आरक्षण कोटिवार तैयार की जायेगी ।

मेधा सूची में tie होने पर दिशा निर्देश- मेधा सूची में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा अर्थात् उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जायेगा अर्थात् अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे । इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण-पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी ।

अन्तिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अहर्ताक:

अन्तिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 32 प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए

न्यूनतम अहर्ताक 34 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक 40 प्रतिशत होगा ।

अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता:

अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जन्तु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होगी अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण या बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन (BCA) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक का डिग्री धारक होना चाहिये । **शैक्षणिक योग्यता की कट-ऑफ-डेट (cut-off-date) दिनांक-01.08.2020 निर्धारित की जाती है ।**

नोट: 1. भूतपूर्व सैनिकों की शैक्षणिक योग्यता वही होगी जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित है एवं पूर्व में वर्णित है । शैक्षणिक योग्यता की कट-ऑफ-डेट (cut-off-date) दिनांक-01.08.2020 निर्धारित की जाती है । Defence Authority (सैन्य प्राधिकार) द्वारा प्रदत्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।

2. बिहार राज्य के सरकारी सेवकों की शैक्षणिक योग्यता वही होगी जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिये निर्धारित है एवं पूर्व में वर्णित है । शैक्षणिक योग्यता की कट-ऑफ-डेट (cut-off-date) दिनांक-01.08.2020 निर्धारित की जाती है ।

उम्र सीमा की गणना:

उम्र सीमा की गणना दिनांक-01.08.2020 के आधार पर की जाएगी, परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक-01.08.2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन-पत्र को भर सकेंगे । बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार का पत्रांक-212, दिनांक-23.01.2006 द्रष्टव्य ।

अभ्यर्थियों की उम्र (दिनांक 01 अगस्त 2020 को):

- (1) अनारक्षित (सामान्य) कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 42 वर्ष ।
- (2) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष ।
- (3) अनारक्षित (सामान्य) कोटि एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 45 वर्ष ।
- (4) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 47 वर्ष होनी चाहिए ।

आरक्षण :- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 (बिहार अधिनियम-3, 1992) (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे एवं इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा ।

अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थी के रूप में की जायेगी । तदनु रूप उनके लिए अनारक्षित (सामान्य) कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित आयु सीमा एवं अन्य सम्बन्धित अर्हताएँ लागू होंगी ।

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर रिक्ति:

क्रमांक	श्रेणी / कोटि	पदों की संख्या	महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित पद (35 प्रतिशत)
1.	अनुसूचित जाति	01	-
2.	अनुसूचित जनजाति	01	-
3.	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	09	03
4.	पिछड़ा वर्ग	01	-
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	04	01
6.	पिछड़े वर्गों की महिलायें (3%)	02	-
7.	अनारक्षित (सामान्य)	25	06
8.	कुल योग	43	10

क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था :

- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी हेतु अधिसूचित 43 पदों पर बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में आरक्षित एवं गैर आरक्षित कोटि में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है ।
- बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतिनी को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गयी है अर्थात् उनके लिए कुल 1 (एक) पद आरक्षित है ।

आयु सीमा में छूट का प्रावधान:

- वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

“असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।”

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर भूतपूर्व सैनिकों को आयोग के विज्ञापन संख्या-02/2020 में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

भूतपूर्व सैनिकों की सेवानिवृत्ति की कट-ऑफ-डेट (cut-off-date) दिनांक-01.08.2020 निर्धारित की जाती है ।

(2) वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयु सीमा में निम्न प्रकार छूट प्रदान की जायेगी:

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक-16.07.2007 द्वारा बिहार राज्य के ऐसे सरकारी सेवक जो 3 (तीन) वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट प्रदान की गयी है ।

बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को नियमानुसार आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जायेगी । सरकारी सेवक अपना आवेदन-पत्र विहित प्राधिकृत पदाधिकारी के माध्यम से समर्पित करेंगे । इस प्रतियोगिता परीक्षा में सरकारी सेवक अधिकतम तीन बार ही भाग ले सकेंगे ।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्देश के आलोक में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के पद पर बिहार राज्य के सरकारी सेवकों को आयोग के विज्ञापन संख्या-02/2020 में अधिकतम आयु सीमा में देय छूट प्रदान की जाएगी ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र:

वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन (Online) आवेदन-पत्र भरने की पद्धति अपनायी गयी है । दिनांक-13.08.2020 (गुरुवार) से ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी । आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 16.09.2020 (बुधवार) निर्धारित है । विहित पद्धति एवं प्रक्रिया के संबंध में वेबसाईट www.bpssc.bih.nic.in पर विस्तार से बताया गया है । सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मूल्य पर (परीक्षा शुल्क के रूप में) ऑनलाइन आवेदन-पत्र का क्रय करना होगा । ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की पद्धति में आवेदन-पत्र के मूल्य को ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा ।

अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 700/- (सात सौ) रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र का मूल्य 400/- (चार सौ) रुपये निर्धारित किया गया है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश:

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए वेबसाईट पर आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध हैं । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन-पत्र भरने के पूर्व उपरोक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा आवेदन-पत्र भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही अंकित करें । यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जायेगी तो आवेदन-पत्र को रद्द करने के साथ-साथ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की वेबसाईट www.bpssc.bih.nic.in पर जाकर दिये गए आवेदन-पत्र संबंधी लिंक (link) पर क्लिक करेंगे जिसके पश्चात आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया में सर्वप्रथम अभ्यर्थी का पंजीकरण किया जाता है । इस क्रम में अभ्यर्थी से उनका मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल लिया जाता है ।

पंजीकरण और भुगतान करने के लिए निर्देश

पंजीकरण करने और भुगतान करने से पहले एक महत्वपूर्ण नोट: एक वैध सक्रिय मोबाइल फोन नम्बर और ई-मेल ID रखें जो आपका हो । भर्ती के अंतिम चरण के पूरा होने तक BPSSC अभ्यर्थी से उसी मोबाइल नम्बर /ई-मेल पते से संवाद करेगा, जो पंजीकरण के दौरान प्रदान किया गया है । BPSSC गलत या अमान्य या डिस्कनेक्ट किया गया मोबाइल नम्बर या ई-मेल पता इनपुट (s) के लिए जिम्मेदार नहीं है ।

1. पंजीकरण प्रपत्र

(नोट: कृपया आवेदन फॉर्म खरीदने के लिए पंजीकरण करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें)

1. आवेदक का नाम:

- Direct Recruitment** - आवेदक का नाम 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है ।
- Ex-Serviceman** - आवेदक का नाम PPO/Defence services documents के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है ।
- Employees of Bihar Government** - आवेदक का नाम 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन प्रमाण पत्र/सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार होना चाहिए। मिस्टर, मिस, श्रीमती, श्री, डा. आदि जैसे उपसर्ग की अनुमति नहीं है ।

2. **राष्ट्रीयता:** आवेदक अपनी राष्ट्रीयता को भारतीय रूप में भरेगा, क्योंकि इस पद पर आवेदन करने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है ।

3. **मोबाइल नम्बर:** वैध और सक्रिय मोबाइल नम्बर दर्ज करना अनिवार्य है, क्योंकि यह BPSSC से भावी संवाद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा । अगर आप गलत या अवैध मोबाइल नम्बर दर्ज करते हैं, तो आप भविष्य में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त नहीं कर पाएंगे और यदि BPSSC से सूचनाओं के दौरान किसी भी समय आपका मोबाइल नम्बर काम नहीं कर रहा है तो BPSSC न तो उत्तरदायी होगा और न ही जिम्मेदार होगा । कोई भी आवेदक सिर्फ एक आवेदन-पत्र भर सकता है । एक मोबाइल नम्बर से मात्र एक आवेदन-पत्र भरा जा सकता है । अगर BPSSC को लगता है कि आपने विभिन्न मोबाइल नम्बरों के साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है, तो आपके सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद मोबाइल नम्बर में बदलाव स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

4. **ई-मेल ID :** पंजीकरण के लिए एक व्यक्तिगत ई-मेल ID अनिवार्य है । आप पत्राचार/संवाद के लिए इस ई-मेल पते का प्रयोग करेंगे क्योंकि BPSSC "एडमिट कार्ड डाउनलोड", "चेक यूअर रिजल्ट" आदि जैसे सभी महत्वपूर्ण संवाद भेजगी। आप एक ई.मेल पते के साथ केवल एक आवेदन कर सकते हैं। यदि BPSSC को पता चलता है कि आपने अलग-अलग ई-मेल पतों के

साथ दो बार या अधिक आवेदन किया है, तो आपके सभी आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे ।
ऑनलाइन आवेदन करने या भरने के बाद ई-मेल पते म. परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

5. **बिहार राज्य का अधिवास (डोमिसाइल)** : यदि आप बिहार के निवासी हैं तो "हां" चुनें, अन्यथा "नहीं" चुनें । दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदक को "अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट" दिखाना आवश्यक है । ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद अधिवास (डोमिसाइल) सर्टिफिकेट का बदलना स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
6. **वर्ग** : आवेदक को अपने वर्ग का चयन करना चाहिए जिससे वह संबंधित है, जैसे, सामान्य, EWS, EBC, BC, SC, ST । और EWS, EBC, BC, SC, ST से संबंधित आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य वर्ग के रूप में चयन करना चाहिए । पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद वर्ग में परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा ।
7. **लिंग** : जो लागू हो (पुरुष या महिला) ।
8. **Employee of Bihar Government** : वैसे अभ्यर्थी जो बिहार सरकार के कर्मचारी हैं और उच्च वेतनमान के लिए जाना चाहते हैं, उन्हें "YES" का चयन करना होगा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
9. **Ex-Serviceman** : वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व सैनिक हैं और उम्र सीमा छूट का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें "YES" का चयन करना होगा । अभ्यर्थी जो पूर्व सैनिक हैं उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय सम्बंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

10. जन्म तिथि

A. Direct Recruitment- जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए । यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार होनी चाहिए । उम्र सीमा की गणना दिनांक 01-08-2020 के आधार पर की जायेगी परन्तु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 01-08-2015 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हों, वे भी उम्र सीमा के आधार पर इस आवेदन-पत्र को भर सकेंगे ।

आवेदक की आयु दिनांक 1 अगस्त 2020 को निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए ।

	पुरुष		महिला	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
सामान्य	21	42	21	45
EWS	21	42	21	45
BC/EBC	21	45	21	45
SC/ST	21	47	21	47

(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)

B.Ex-Serviceman : जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए । यह PPO/Defence services documents के अनुसार होनी चाहिए । आवेदक जो पूर्व सैनिक (JCO/NCO) हैं, उम्र सीमा की गणना दिनांक- 01-08-2020 के आधार पर की जायेगी । जैसा कि अधिकतम आयु सीमा की कट-ऑफ तिथि 1 अगस्त 2020 है, आवेदकों को 1 अगस्त 2020 या उसके पहले सेनानिवृत्त होना आवश्यक है। पूर्व सैनिकों की अधिकतम आयु निम्न मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए (01 अगस्त 2020 को) ।

आयु मानदंड

	पुरुष	महिला	दोनों (पुरुष & महिला)
	Maximum qualifying age	Maximum qualifying age	Maximum Age Limit
सामान्य	37 Years+Years of Service Rendered+3 Years	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
EWS	37 Years+Years of Service Rendered+3 Years	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
BC/EBC	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	40 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
SC/ST	42 Years+Years of Service Rendered+3 Years	42 Years+Years of Service Rendered+3 Years	57 years
(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)			

i-आवेदक PPO संख्या : आवेदक को अपना पशन भुगतान आदेश (PPO) नंबर देना होगा ।

ii-सेवा आरंभ तिथि : आवेदक को सेवा आरम्भ करने की तिथि प्रदान करनी होगी ।

iii-सर्विस डिस्चार्ज तिथि : आवेदक को सर्विस से डिस्चार्ज होने की तिथि भी देनी होगी ।

C. Employees of Bihar Government: जन्म तिथि DD/MM/YYYY के प्रारूप में होनी चाहिए । यह 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन सर्टिफिकेट/ सरकार द्वारा दिए गए किसी भी आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार

होनी चाहिए । उम्र सीमा की गणना दिनांक 01-08-2020 के आधार पर की जायेगी । आवेदक की आयु (1 अगस्त 2020 को) निम्न तालिका के अनुसार होनी चाहिए ।

	पुरुष	महिला
	Maximum qualifying age	Maximum qualifying age
सामान्य	37 Years+5 Years	40 Years+5 Years
EWS	37 Years+5 Years	40 Years+5 Years
BC/EBC	40 Years+5 Years	40 Years+5 Years
SC/ST	42 Years+5 Years	42 Years+5 Years
(नोट: आवेदक, जो बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, को सामान्य के रूप में वर्ग का चयन करना होगा)		

नोट: प्रोसीड के बटन पर क्लिक करने के बाद, पूर्ण विवरण दिखाया जाएगा । भुगतान करने से पहले, आवेदक "Edit Details" बटन को क्लिक करके एडिट कर सकते हैं । एक बार भुगतान करने के बाद, आवेदक विवरण को एडिट नहीं कर सकते ।

2: भुगतान करें

- 1- पंजीकरण पूरा करने के बाद, आपको नेट बैंकिंग/डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान करना होगा । भुगतान राशि में अपेक्षित आवेदन शुल्क और बैंक के देय लेनदेन शुल्क लागू होंगे जो भुगतान पृष्ठ पर दिखाए जाएंगे ।

आवेदन शुल्क निम्न है:

	पुरुष	महिला
सामान्य	700/-	700/-
EWS	700/-	700/-
EBC/BC	700/-	700/-
SC/ST	400/-	400/-

- 2- सफल भुगतान के उपरांत, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर पंजीकरण ID के साथ एक सफल पंजीकरण संदेश प्राप्त होगा। यह पंजीकरण ID आपकी आवेदन ID भी होगी, जिसका प्रयोग आप भविष्य के संदर्भों के लिए करेंगे।
- 3- आवेदक को भुगतान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और एकल पंजीकरण संख्या के लिए कई भुगतानों से बचना चाहिए ।

- 4- किसी भी मामले में, सफल पंजीकरण के बाद आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी ।
- 5- Submit करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, भुगतान करने से पहले आवेदक को सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए ।
- 6- अगर बिजली या इंटरनेट की विफलता या बैंक लिंक की धीमी गति के कारण से राशि की कटौती हो जाती है और आवेदक को सफल पंजीकरण संदेश नहीं मिल पाता है, तो शुल्क राशि 7 कार्य दिवस के बाद लौटा दी जाएगी। BPSSC किसी भी प्रकार के मुद्दों या देय तिथि से पहले फॉर्म भरने में आवेदक की वजह से होने वाली देरी के लिए जिम्मेदार नहीं है । आवेदकों को सलाह दी जाती है की आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें और पहले ही आवेदन सुनिश्चित कर लें ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

3: पंजीकरण रद्दीकरण

1. यदि आपने गलत विवरण के साथ पंजीकरण और भुगतान किया है, तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए, हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक पंजीकरण को रद्द कर सकता है और वह फिर से पंजीकरण कर सकता है, लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी ।
2. पंजीकरण रद्द करने के लिए दिशानिर्देश:
 - i- पंजीकरण रद्द करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं (<https://apply-bpssc.com>) और 'View Application' Status बटन पर क्लिक करें ।
 - ii- अपना आवेदन/पंजीकरण ID या मोबाइल नम्बर और जन्मतिथि दर्ज करें और 'Submit' बटन पे क्लिक करें ।
 - iii- 'Submit' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक के विवरण और 'Cancel Registration' बटन दिखाई देंगे। आपको 'Cancel Registration' बटन पर क्लिक करना होगा ।
 - iv- क्लिक करने के बाद, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा ।
 - v- आवेदक को ओटीपी दर्ज करना होगा और 'Cancel' बटन पर क्लिक करना होगा, फिर पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा ।
 - vi- रद्दीकरण के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सन्देश प्राप्त होगा, जिसमें पंजीकरण रद्दीकरण का उल्लेख होगा ।
3. पंजीकरण रद्द करने के बाद, आवेदक का मोबाइल नम्बर मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि आवेदक उसी मोबाइल नम्बर के प्रयोग से फिर से पंजीकरण कर सके ।

नोट:

i .Direct Recruitment/Employees of Bihar Government - “बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2013” के क्रमांक-8(3) एवं अधियाचना के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जन्तु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होगी अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण या बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन (BCA) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक का डिग्री धारक होना चाहिये । शैक्षणिक योग्यता की कट-ऑफ-डेट (cut-off-date) दिनांक-01.08.2020 निर्धारित की जाती है ।

ii .Ex-Serviceman - “बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2013” के क्रमांक-8(3) एवं अधियाचना के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जन्तु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होगी अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण या बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन (BCA) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक का डिग्री धारक होना चाहिये । शैक्षणिक योग्यता की कट-ऑफ-डेट (cut-off-date) दिनांक-01.08.2020 निर्धारित की जाती है ।

घोषणा: मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैंने BPSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 02/2020 को भी भलीभांति पढ़ लिया है । मैं पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ। जब भी BPSSC मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा । मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है । मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई, तो मेरा आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना होगा।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने के लिए निर्देश:

निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

1. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र :

A. Direct Recruitment/ Employees Of Bihar Government – शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट- ग्रेजुएशन (वैकल्पिक))

B. Ex-Serviceman - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र (ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन (वैकल्पिक))।

2. पते का विवरण :

A. Direct Recruitment/ Employees Of Bihar Government – पते का विवरण (आधार/वोटर ID/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र के अनुसार) । (करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)

B. Ex-Serviceman - पते का विवरण (आधार/वोटर ID/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट/राशन कार्ड/जन्म प्रमाणपत्र/Defence Services documents के अनुसार) । (करीबी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करें)

3. आपका jpg या png प्रारूप में अपने हाल ही के पासपोर्ट साइज फोटो की एक स्कैन की गई प्रति चाहिए ।

a. फोटो अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश:

b. पासपोर्ट साइज (3.5cm×4.5cm) का दो माह के अंदर खींचा हुआ रंगीन फोटो अपलोड करें ।

c. फोटोग्राफ अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए । फोटो की साइज 25kb से कम होनी चाहिए ।

d. फोटोग्राफ में आपके दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए ।

e. फोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी एवं काला/रंगीन चश्मा नहीं लगाया होना चाहिए या अन्य प्रकार से अपनी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए ।

f. सुनिश्चित करें कि आपने अपना फोटो अपलोड किया है, अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और BPSSC किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

4. अपने हस्ताक्षर की एक स्कैन प्रतिलिपि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पेन ड्राइव या कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर रखें । दोनों हस्ताक्षर काले स्याही में सफेद कागज पर होंगे और साइज में प्रत्येक 25kb से कम होंगे । सुनिश्चित करें कि आप अपने स्वयं के हस्ताक्षर अपलोड करते हैं, अन्यथा आपका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा और BPSSC किसी भी प्रकार के परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

आवेदन-पत्र में भरने के विवरण (आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि 16.09.2020)

(1) व्यक्तिगत विवरण :

(a) पिता का नाम 10th/SSC/मैट्रिक्यूलेशन प्रमाणपत्र के अनुसार होना चाहिए या Ex-Serviceman के लिये PPO/Defence Services Documents के अनुसार होना चाहिए । विवाहित महिलाओं को उपरोक्तानुसार अपने पिता के नाम के साथ-साथ दिए गए जगह में अपने पति का नाम भी लिखना होगा ।

(b) वैवाहिक स्थिति ।

(c) पहचान पत्र का प्रकार (सूची में दी गई), ID कार्ड नंबर आपके द्वारा चुने गए ID कार्ड प्रकार से मेल खाना चाहिए ।

(d) एक पहचान चिन्ह अनिवार्य है (उदाहरण: जैसे कि बाएं हाथ पर तिल) ।

(2) शैक्षणिक योग्यता :

(a) सभी विवरण आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए ।

Direct Recruitment /Employees Of Bihar Government: “बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2013” के क्रमांक-8(3) एवं अध्याचना के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जन्तु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होगी अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण या बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन (BCA) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक का डिग्री धारक होना चाहिये । शैक्षणिक योग्यता की कट-ऑफ-डेट (cut-off-date) दिनांक-01.08.2020 निर्धारित की जाती है ।

Ex-Serviceman : “बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2013” के क्रमांक-8(3) एवं अध्याचना के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, सांख्यिकी एवं जन्तु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होगी अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण या बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकेशन (BCA) में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक का डिग्री धारक होना चाहिये । शैक्षणिक योग्यता की कट-ऑफ-डेट (cut-off-date) दिनांक-01.08.2020 निर्धारित की जाती है ।

(b) Direct Recruitment/ Employees Of Bihar Government : मैट्रिक्यूलेशन और ग्रेजुएशन शैक्षणिक विवरण अनिवार्य हैं । यदि आप स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) हैं तो संबंधित कॉलम में संबंधित विवरण भरें ।

Ex-Serviceman: ग्रेजुएशन शैक्षणिक विवरण अनिवार्य है। यदि आप पोस्ट-ग्रेजुएट हैं, तो संबंधित कॉलम में संबंधित विवरण भरें ।

(3) पते का विवरण :

a. अपना स्थायी पता और पत्राचार पता भरें । महिला आवेदिका यदि विवाहित हैं तो उनका स्थायी पता वही होगा जो उनके पति का स्थायी पता है ।

b. पत्राचार पते का उपयोग पत्राचार के लिए किया जाएगा और BPSSC नियुक्ति से सम्बंधित किसी भी प्रकार का पत्राचार इसी पते पे भेजेगा ।

(4) फोटो और हस्ताक्षर अपलोड:

a. अपना रंगीन पासपोर्ट साइज (3.5cm×4.5cm) फोटो अपलोड करें (फाइल का साइज 25Kb से कम) ।

b. हिंदी में अपना हस्ताक्षर अपलोड करें (फाइल का साइज 25Kb से कम) ।

c. अंग्रेजी में अपना हस्ताक्षर अपलोड करें (फाइल का साइज 25Kb से कम) ।

नोट: प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद, विवरण का प्रीव्यू दिखाया जाएगा । अंतिम रूप में "आवेदन-पत्र" सबमिट करने से पहले, आवेदक "Edit details" बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं । एक बार पुष्टि और सबमिट किये गए आवेदन के विवरण को एडिट नहीं कर सकते । आवेदन-पत्र सबमिट करने के उपरांत, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल क्रमांक पर एक पुष्टिकरण सन्देश प्राप्त होगा। सबमिट किये गए आवेदन के विवरण को अंतिम रूप में लिया जायेगा, और BPSSC आवेदन-पत्र में किसी और बदलाव की अनुमति नहीं देगा । इसमें कोई एडिट सुविधा नहीं है, इसलिए आवेदक विवरण भरते समय सावधानी बरतें और सुनिश्चित करें कि सारे विवरण सम्बंधित प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों के ही अनुरूप हों । BPSSC उम्मीदवार द्वारा गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए या फिर अंतिम क्षणों में फॉर्म भरने में की गयी किसी भी गलती के लिए ना तो उत्तरदायी है और ना ही जिम्मेदार है ।

(5) आवेदन-पत्र रद्दीकरण:

a. यदि आपने गलत विवरण के साथ आवेदन सबमिट किया है, तो आप अपने विवरण को एडिट नहीं कर सकते। इसके लिए, हमारे पास एक रद्दीकरण प्रावधान है। आवेदक आवेदन-पत्र को रद्द कर सकता है और वह आवेदन-पत्र को फिर से भर सकता है, लेकिन आवेदन शुल्क राशि लौटाई नहीं जाएगी ।

b. आवेदन-पत्र रद्द करने के लिए दिशा-निर्देश:

- i- आवेदन-पत्र रद्द करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं (<https://apply-bpssc.com>) और "View ApplicationStatus" बटन पर क्लिक करें ।
- ii- अपना आवेदन/पंजीकरण आई-डी या मोबाइल नम्बर और जन्मतिथि दर्ज करें और 'Submit' बटन पे क्लिक करें ।
- iii- 'Submit' बटन पर क्लिक करने के बाद, आवेदक के विवरण और "Cancel Application Form" बटन दिखाई देंगे। आपको "Cancel Application Form" बटन पर क्लिक करना होगा।
- iv- क्लिक करने के बाद, आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त होगा।
- v- आवेदक को ओटीपी दर्ज करना होगा और Cancel बटन पर क्लिक करना होगा, फिर आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- vi- रद्दीकरण के बाद आवेदक को अपने पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर सन्देश प्राप्त होगा, जिसमें आवेदन-पत्र रद्दीकरण का उल्लेख होगा।

c. आवेदन-पत्र रद्द करने के बाद, आवेदक का मोबाइल नम्बर मुक्त कर दिया जाएगा, ताकि आवेदक उसी मोबाइल नम्बर के प्रयोग से एक नया आवेदन-पत्र भर सके ।

घोषणा : मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैंने BPSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 02/2020 को भी भलीभांति पढ़ लिया है । मैं ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ। जब भी BPSSC मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टिकरण मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करूँगा । मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है । मैं यह भी जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई , तो मेरा आवेदन-पत्र रद्द कर दिया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना होगा ।

उल्लेखनीय है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरा जा सकता है । किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन-पत्र भरे जाने की स्थिति में उनके सभी आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । जो अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन-पत्र भरेंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी ।

आवेदन-पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि वे दिनांक-01.08.2020 को निर्धारित आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आदि सभी पात्रता को पूर्ण करते हैं ।

अभ्यर्थी दसवीं की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र के आधार पर आवेदन-पत्र में अपनी जन्म तिथि का सही-सही उल्लेख करेंगे । आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी अपना नाम, पिता/पति का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, आदि सभी सूचनाएँ बिल्कुल सही-सही भरें । प्रमाण-पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें कोई भिन्नता पायी जाती है तो आवेदक/आवेदिका की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी ।

अभ्यर्थियों की आरक्षित श्रेणियाँ/वर्ग हैं- (1) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), (2) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC), (3) पिछड़ा वर्ग(BC), (4) अनुसूचित जाति(SC) एवं (5) अनुसूचित जनजाति (ST) । आवेदन-पत्र में आवेदकों को अपनी श्रेणी का ही उल्लेख करना है । यदि आवेदक अपनी श्रेणी के स्थान पर किसी अन्य श्रेणी का उल्लेख करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी । अतः आवेदक पूर्णतः आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा जाति में हैं ।

आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सूचित किया जाता है कि अपनी कोटि/श्रेणी/जाति/वर्ग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर जारी तत्संबंधी अद्यतन आदेशों का अवश्य अध्ययन कर लें ।

ऐसी विवाहित महिलाएँ जो शारीरिक समर्थता परीक्षण के समय चिकित्सीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर शारीरिक समर्थता परीक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा ।

महत्वपूर्ण निर्देश:

भविष्य में पत्राचार/जानकारी प्राप्त करने के लिए Application Form Number आवश्यक है । अतः पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन-पत्र (फोटो सहित) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें । आयोग से पत्राचार करते समय आवेदन-पत्र की छाया प्रति निश्चित रूप से संलग्न करें ।

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि:

ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि-16.09.2020 (बुधवार) निर्धारित है एवं इसमें कोई विस्तार नहीं किया जायेगा ।

आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के उपरान्त सभी आवेदन-पत्रों के जाँचोपरान्त अभ्यर्थियों का डाटा बेस बनाकर लिखित परीक्षा के लिए उन्हें प्रवेश-पत्र उनके ई-मेल पर निर्गत किया जायेगा । लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विधिवत सूचना समाचार-पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय दी जायेगी ।

विशेष कार्य पदाधिकारी
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग,
बिहार, पटना ।